दिनांक 04.08.2014 को गढ़वाल मंडल विकास निगम द्वारा जिला हरिद्वार, के अर्न्तगत गंगा नदी अजीतपुर में उपखनिज चुगान एवं संग्रहण हेतु पर्यावरण स्वीकृति के लिए आहूत लोकसुनवाई का कार्यवृत्त

गढ़वाल मंडल विकास निगम, द्वारा जिला हरिद्वार के अर्न्तगत गंगा अजीतपुर में उपखनिज चुगान संग्रहण हेतु पर्यावरण स्वीकृति के लिए जन सुनवाई का आयोजन किया गया। पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड देहरादून में प्रस्ताव प्राप्त हुआ। उक्त प्रस्ताव पर्यावरण एवं वन मन्त्रालय भारत सरकार की पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना–2006 के अन्तर्गत आच्छादित है। लोक परामर्श हेतु विज्ञप्ति दैनिक समाचार पत्रों में 03.07.2014 को प्रकाशित की गयी थी। जिलाधिकारी, हरिद्वार द्वारा नामित अपर जिलाधिकारी (वित्त) की अध्यक्षता में बाल कुमारी मंदिर, परिसर में लोक सुनवाई आयोजित की गयी । लोक सुनवाई की उपस्थिति संलग्नानुसार रही।

अध्यक्ष महोदय की अनुमति द्वारा दिनांक 04.08.14 को लोक सुनवाई की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी। इस अनुक्रम में परामर्शी संस्था ग्रास रूट्स रिसर्च एण्ड किएसन इण्डिया प्रा0लि0, नोएडा द्वारा परियोजना की पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन तथा प्रबन्धन योजना कर विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया गया है। जिसका विवरण निम्नानुसार प्रस्तुत है:–

- इस परियोजना का प्रमुख उद्देश्य नदी से उपखनिजों का संग्रहण किया जाना है, जिसका उपयोग विभिन्न निर्माण कार्यो में किया जायेगा। प्रस्तावित नदी स्थल हरिद्वार जिले के,अजीतपुर के निकट गंगा नदी पर स्थित है एंव उत्तराखण्ड एवं उत्तर प्रदेश अतर्राज्य सीमा 10 कि0मी0 त्रिज्या के भीतर स्थित है एवं आरक्षित वन क्षेत्र हरिद्वार वन विभाग के अर्न्तगत नही है।
- परियोजना क्षेत्र भूकम्प जोन 4 के अन्तर्गत आच्छादित है। कार्य क्षेत्र में कोई पुरात्तविक स्मारक एवं रक्षा प्रतिष्ठान नही है।
- प्रस्तावित खनन /चुगान में गंगा नदी में 32.208 हेक्टेअर क्षेत्रफल से 2.6 लाख टन खनिज प्रतिवर्ष (खनन) चुगान निष्कर्षण हेतु है। इस परियोजना में नदी के तटों से 15% भाग और नदी जल से 12 मीटर सुरक्षित दूरी छोडकर खनन किया जायेगा। खनन की कुल गहराई 1.5 मीटर तक सीमित होगी तथा खनन पूर्ण रूप से मैन्यूएल व वैज्ञानिक तरीके से किया जायेगा। प्रस्तावित आपेक्षित खनन अवधि 5 साल की होगी, और वर्ष के नौ महिनो में खनन का कार्य किया जायेगा।
- प्रस्तुतिकरण के समय पर्यावरण मूल्यांकन प्रभाव रिपोर्ट में प्रदर्शित जल/वायु/ध्वनि इत्यादि के एकत्रित नमूनो के परिणामों को भी दिखाया गया जो कि मानको के अनुरूप बताये गये।
- परियोजना स्थल पर कोई विस्फोटक सामग्री का प्रयोग नही किया जायेगा। गढ़वाल मंडल विकास, निगम के सीमांकन के पश्चात मैन्यूअल तरीके से ही खनन किया जायेगा।
- ट्रको एवं वाहनो के चलने से होने वाले ध्वनि प्रदूषण की रोकथाम हेतु वाहनों के रखरखाव, यातायात प्रबन्धन, ध्वनि का अनुश्रवण तथा पीयूसी प्रमाणित वाहनो का ही प्रयोग किया जायेगा। धूलकणो की रोकथाम हेतु कार्यस्थल एवं सडको पर पानी छिडकाव किया जायेगा।
- कार्यरत कार्मिको को समस्त सुरक्षा उपकरण उपलब्ध करायें जायेंगे तथा परियोजना मे पर्यावरण प्रबन्धन हेतु रू0 6.01 लाख का बजट प्रस्तावित है।

प्रस्तुतीकरण के बाद परियोजना के सम्बन्ध में जन समुदाय को उनके सूझाव एवं आपत्तियों हेतु आमंत्रित किया गया तथा जन समुदाय द्वारा प्रस्तुत सूझावों एवं आपत्तियों का विवरण निम्नानुसार है–

1. श्री विक्रम द्वारा द्वारा बताया गया, कि विगत 10 वर्षों मे स्थानीय जमीन का अत्यधिक कटाव हुआ है। शासन स्तर से उक्त हेतु कोई मुआवजा भी नही दिया जाता है। खनन बन्द होने से व जमीन न होने से रोजगार की समस्या उत्पन्न हो गयी है। अतः खनन आवश्यक रूप से खुलना चाहिये।
2. श्री विजेन्द्र कुमार, अजीतपुर द्वारा बताया गया कि पूर्व में गंगा नदि में तेज प्रवाह होने के कारण तटबन्ध टूट गये है, जिसमें लकडी व मलबा बहकर आ रहा है। खनन पूर्ण रूप से वैज्ञानिक, सरकारी एजेन्सी के माध्यम से ही होना चाहिये। पूर्व में विभिन्न निजि पट्टा धारकों द्वारा तटबन्ध बांधकर अवैध खनन किया गया है, तब किसी संस्था द्वारा कोई विरोध नही किया गया , तो अब सरकारी माध्यम से खनन होने पर किसी प्रकार की आपत्ति कैसे हो सकती है।
3. श्री राममुनि, पुजारी बालकुमारी मन्दिर द्वारा बताया गया कि मंदिर परिसर में लगातार तटबन्ध का कटाव हो रहा है। उनके द्वारा यह भी बताया गया कि पत्थर निकालने से कोई प्रदूषण नही होता है। उद्योगों तथा घरों से निकलने वाले गंदे पानी जो गंगा में मिल रहा है एवं जिससे प्रदूषण हो रहा है पर चर्चा होनी चाहिये ना कि ऐसा कार्य जिससे कोई भी प्रदूषण ना होता हो। खनन बन्द होने से व जमीन न होने से रोजगार की समस्या उत्पन्न हो गयी है। अतः खनन आवश्यक रूप से खुलना चाहिये।
4. श्री हरफूल सिंह द्वारा कहा गया कि गंगा में आज के समय में इतनी गंदगी है कि पानी बदबुदार हो गया है तथा परने व नहाने लायक भी नही रहा है। उनके द्वारा कहा गया कि सरकार द्वारा बनाये गये तटबन्धों पर कोई भी आवाजाही न हो। जिससे की अवैध खनन को रोका जा सके।
5. स्वामी ब्रहमचारी दयानन्द, मातृ सदन हरद्विार द्वारा बैठक के समय एक प्रत्यावेदन दिया गया, जिसको कार्यवृत्त का भाग बनाया जा रहा है। उनके द्वारा कहा गया, कि

- कार्यदायी संस्था को उनके द्वारा प्रेषित दिनांक 03.01.14 के पत्र का कोई जवाब नही दिया गया है, जिस पर कार्यदायी संस्था द्वारा बताया गया, कि उनको पूर्व में हुई लोक सुनवाई के समय जवाब प्राप्त कराया जा चुका है।
- आईआईटी रूडकी के वैज्ञानिक डॉ0 देवेन्द्र स्वरूप का शोधपत्र इस बात की अनुशंसा करता है कि खनन से गंगा को नुकसान हो रहा है।
- स्वामी जी द्वारा इस बात पर जोर दिया गया, कि कार्यदायी संस्था द्वारा अपने जवाब में स्वयं कहा है, कि पत्थर एवं बोल्डर्स उपर से बहकर नही आते है। अतः यह प्रस्ताव निरस्त किये जाने योग्य है, जिस हेतु पुनः स्टडी कराकर वाछित कार्यवाही की जाये।
- गंगा में मात्र रेत एवं मिट्टी का मिश्रण ही आता है, जो कि गंगा की धारा से किनारों पर एकत्र होता रहता है।
- उत्तर प्रदेश शासन के वर्ष 1952 के शासनादेश के बारे में भी बताया गया, जिसमें लिखा है, कि कुम्भ क्षेत्र में गंगा एवं इसकी सहायक नदियों में पत्थर एवं बोल्डर्स हटाने को प्रतिबन्धित किया गया है।
- खनन 1996–1998 की अवधि में हुआ जिसके पश्चात नगर मजिस्ट्रेट हरिद्वार की रिपोर्ट दिनांक 16.06.1999 में बताया गया है कि खनन से पर्यावरण को नुकसान है।
- कार्यदायी संस्था द्वारा 09.12.13 को जिलाधिकारी, हरिद्वार को इस आशय का पत्र लिखा गया है कि राजाजी नेशनल पार्क से 500 मीटर की दूरी से अधिक पर वन्य जीव जन्तु बोर्ड की स्वीकृति की आवश्यकता नही है, जबकि ऐसा कोई नियम अथवा कानून नही है जो इस तरह का प्रावधान सूचित करता हो।
- दिनांक 10.012.10 में उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश के अनुसार कुम्भ मेला क्षेत्र को सुरक्षित रखने हेतु खनन व कशिंग बन्द रखे जाने के सम्बन्ध में आदेश निर्गत है।
- माननीय उच्च न्यायालय में अपील संख्या–03/2011 में दिनांक 26.05.2011 के आदेश में भी उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश को उचित ठहराया गया है।
- कार्यदायी संस्था द्वारा अपने प्रस्ताव में परियोजना क्षेत्र के जो अक्षांश दिये गये है, वे गलत हैं। दिये गये अक्षाशों में मिस्सरपुर/अजीतपुर के अतिरिक्त अन्य क्षेत्र भी आते है।

दिनांक 27.05.1998 में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा निर्देशित किया गया है कि जंगली जीव–जन्तुओं के संरक्षण हेतु खनन क्षेत्र में वाहनों का आवागमन रोका जाये।

उपरोक्त के आधार पर स्वामी दयानन्द द्वारा कार्यदायी संस्था को पूर्ण स्टडी कराये बिना भ्रामक तथ्य प्रस्तुत करने का आरोप लगाते हुये इसकी स्टडी को चुनौती दी है। इस पर कार्यदायी संस्था द्वारा अवगत कराया गया है कि सिचाई विभाग एवं प्रभागीय वनाधिकारी हरिद्वार द्वारा फरवरी 2013 में इस क्षेत्र में खनन की संस्तुति की गयी है।

6. श्री मनोज कुमार चौहान द्वारा बताया गया, कि गंगा का प्रदूषण गंदे नालों से होता है कि सी संस्था द्वारा इसकी रोकथाम हेतु कोई भी बात नही की गयी है। यह कहना गलत है कि कुम्भ क्षेत्र में खनन नही होता है जबकि प्रत्येक वर्ष शासन प्रशासन द्वारा हर की पौड़ी नीलधारा में खनन कराया जाता है। जिस प्रकार रेल के चलने से होने वाले ध्वनि प्रदूषण को आस–पास के इलाकों में रहने वाले लोगों द्वारा इसकी आवश्यकता के दृष्टिगत स्वीकार किया गया है, उसी प्रकार खनन भी कुम्भ क्षेत्र में आवश्यकतानुसार आवश्यक है। अजीतपुर क्षेत्र के कुम्भ क्षेत्र से बाहर होने पर यह दलील दी गयी कि यहा पर पूर्व में लगाये जाने वाले टैन्ट इत्यादि से कोई मुआवजा नही दिया जाता है। अतः यह कुम्भ क्षेत्र के अन्तर्गत नही है। उनके द्वारा पूर्व में हुये निजि पट्टा धारकों द्वारा खनन के सम्बन्ध में मातृ सदन के द्वारा कोई भी विरोध न किये जाने सम्बन्धी तथ्य प्रकाश में लाये गये।

7. स्वामी ब्रहमचारी दयानन्द द्वारा पूर्ण लोक सुनवाई की विडियो रिकार्डिग की प्रति उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है। जिस पर अध्यक्ष महोदया द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की अनुमति दी गयी।

8. श्री सुनित जायसवाल द्वारा कहा गया, कि लक्सर क्षेत्र में पत्थर नही आते है तथा वर्तमान क्षेत्र कुम्भ क्षेत्र के अन्तर्गत नही आता है। उनके द्वारा कहा गया कि खनन आवश्यक रूप से खुलना चाहिये एवं यह पूर्ण रूप से वैज्ञानिक एवं सरकारी एजेन्सी के माध्यम से ही किया जाना चाहिये।

9. श्री अनील कुमार मिश्रा द्वारा खनन की अनिवार्यता बतायी गयी, एवं कहा गया कि नदि में रेत बजरी भरने पर उकी सफाई अत्यन्त आवश्यक है तथा खनन एक निश्चित सीमा के अन्तग्रत सरकारी ऐजेन्सी के माध्यम से ही होना चाहिये।

इसके उपरान्त अध्यक्ष महोदया द्वारा मत विभाजन की कार्यवाही कराई गयी एवं कहा गया कि जो भी व्यक्ति गंढवाल मंडल विकास निगम द्वारा गंगा नदी अजीतपुर में उपखनिज चुगान एवं संग्रहण के विरोध में हैं वह अपने–अपने हाथ उठाये इस पर मात्र एक व्यक्ति, स्वामी ब्रहमचारी दयानन्द द्वारा हाथ उठाकर खनन के विरोध में मतदान किया गया। पुनः यह उच्चारण किया गया कि जो व्यक्ति गढवाल मंडल विकास निगम द्वारा प्रस्तावित खनन का समर्थन करते है वह अपने–अपने हाथ उठाये इस पर सुनवाई के समय उपरोक्त एक व्यक्ति के अतिरिक्त उपस्थित अन्य समस्त जन समुदाय द्वारा हाथ उठाकर खनन का समर्थन किया गया।

अतः उपरोक्त मत विभाजन की कार्यवही के अनुक्रम में वैज्ञानिक तरीके से गंगा नदी अजीतपुर से उप खनिज चुगान की सहमति दर्ज करते हुये कार्यवृत्त को जन समुदाय को पढकर सुनाया गया तथा पुरी प्रकिया की विडियो रिर्काडिंग भी कराई गयी। अन्त में अध्यक्ष महोदया के धन्यवाद के साथ लोक सुनवाई का समापन किया गया।

डॉ0 अंकुर कंसल
क्षेत्रीय अधिकारी (प्र0)
उ0प0सं0प्र0नि0बो0, रूडकी

रवनीत चीमा
अपर जिलाधिकारी (वित्त)
जिला हरिद्वार

दिनांक 04.08.2014 को गढ़वाल मंडल विकास निगम द्वारा जिला हरिद्वार, के अर्न्तगत गंगा नदी अजीतपुर में उपखनिज चुगान एवं संग्रहण हेतु पर्यावरण स्वीकृति के लिए आहूत लोकसुनवाई मे उपस्थिति

क्रम स0	नाम / पदनाम	हस्ताक्षर
1	रवनीत चीमा अपर जिलाधिकारी जिला हरिद्वार	[signature]
2	अंकुर कंसल, क्षे. अ., उ.नि.प्र. बोर्ड रुड़की	[signature]
3	एम.डी. डोडियाल समन्वयक गढ़ म. वि. नि.	[signature]
4	राकेश कुमार [illegible]	[signature]
5-	मनोज कुमार चौहान (जिला उपाध्यक्ष) विश्व हिन्दू परिषद हरिद्वार	मनोज [signature]
6	सुनील जायसवाल ग्राम पंजनहेड़ी	[signature]
7	मायाराम ग्राम - अजीतपुर	मायाराम
8	बिजेन्द्र कुमार अजीतपुर	बिजेन्द्र कुमार
9	सुनील कुमार	[signature]
10	[illegible]	[signature]
11	विवेक चौहान	विवेक चौहान
12	नवीन कुमार चौहान	[signature]
13	अनन्द पाल	[signature]
14	शेर सिंह	शेर सिंह SK
15	मणी	मणी
16	पुनित कश्यप	पुनित कश्यप
17	बिट्टूपाल	बिट्टूपाल
18	[illegible]	[signature]

क्रम स०	नाम / पदनाम	हस्ताक्षर
19	राजेश कुमार	R.K. Chauhan
20	L.P. DHOUNDIYAL	[signature]
21	J.S. Rawat	[signature]
22	[illegible] चौहान	[signature]
23	अरविन्द चौहान	[signature]
24	विरेन्द्र	विरेन्द्र
25	अजीत कुमार	अजीत कुमार
26	श्री नाथीराम चौहान पंजाब[illegible]	[signature]
27	राम किंकर (राममुनि) बाबा	राम किंकर (राममुनि)
28	ब्र० दयानन्द मातृसदन हरिद्वार / ब्रह्मचारी दयानन्द मातृसदन, हरिद्वार	ब्र० दयानन्द